

**File No. 3/2/2021-SD/AM**  
**INDIRA GANDHI NATIONAL CENTRE FOR THE ARTS**  
**Sutradhara division**  
**Admin Establishment**

Dated 12.05.2023

**CIRCULAR**

**Subject: Instructions on booking of tickets, taking advance and reimbursement in respect of Leave Travel Concession (LTC) - regarding.**

Attention is invited to DoPT's OM No.31011/12/2022-Estt.A-IV dated 29.08.2022 and OM No.31011/15/2022-Estt.A-IV dated 11.10.2022 which are related to availing General LTC and relaxation to travel by air to visit North East Region, Jammu & Kashmir, Ladakh and Andaman & Nicobar.

On the basis of the above OMs, the following instructions are being issued for availing LTC facilities, which are mandatory to be followed by all the officers/staff of the IGNCA.

- (i) Employees intimates to the department his/her intention to avail of LTC and gets the Leave sanctioned one month before intended travel on LTC to avoid delays.
- (ii) Employees are allowed to encash 10 days Earned Leave (EL) at the time of availing of LTC to the extent of 60 days during the entire service. Also, Employees should submit a request for leave encashment and LTC Advance one month before the commencement of the journey so that request can be processed within stipulated time.
- (iii) Employees should book tickets at least 21 days prior to the intended date of travel on LTC.
- (iv) The Leave Travel Concession advance and reimbursement granted will be adjusted within one month and three months respectively.
- (v) Progress of LTC claim can be inquired after one week of submission of claim.
- (vi) To visit North East Region, Jammu & Kashmir, Ladakh and Andaman & Nicobar the tickets shall be purchased only from the three Authorized Travel Agents(ATAs), namely:
  - (a) M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL)
  - (b) M/s Ashok Travels & Tours (ATT)
  - (c) Indian Railways Catering and Tourism Cooperation Ltd. (IRCTC)

This issues with the approval of the Competent Authority, IGNCA.

  
**(Sheela Unnikrishnan)**  
AFA & AO (E&A)

Copy to:

1. All HoDs/Unit Heads/Regional Directors (with request to circulate the staff working under their control.
2. Upload in IGNCA Website
3. Guard File

Copy for kind information:

1. PPS to Member Secretary
2. PPS to Director (Admin)

**परिपत्र**

**विषय: अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) प्राप्त करने हेतु टिकटों की बुकिंग, अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी निर्देश-**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए कार्यालय जापन संख्या.31011/12/2022-स्था.ए-IV दिनांक 29.08.2022 एवं कार्यालय जापन संख्या 31011/15/2022-स्था-ए-IV दिनांक 11.10.2022 जो उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख एवं अंडमान और निकोबार जाने के लिए हवाई यात्रा में छूट तथा अवकाश यात्रा रियायत(एलटीसी) प्राप्त करने से सम्बंधित हैं का संदर्भ लें।

उपर्युक्त कार्यालय जापनों के आधार पर, एलटीसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिनका इ.गाँ.रा.क.केंद्र के सभी नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पालन करना अनिवार्य है :-

- (i) कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा प्राप्त करने से पूर्व इस सम्बन्ध में अपने विभाग/अनुभाग को सूचित करना होगा एवं एक माह पूर्व अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (ii) कर्मचारियों को एलटीसी प्राप्त करने के समय 10 दिनों के अर्जित अवकाश (ईएल) एवं अपनी पूरी सेवा के दौरान 60 दिनों तक अर्जित अवकाश को भुनाने की अनुमति है। साथ ही, कर्मचारियों को यात्रा से एक माह पूर्व अवकाश नकदीकरण (एन्कैशमेंट) एवं एलटीसी की अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिससे एलटीसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर संसाधित किया जा सके।
- (iii) कर्मचारियों को एलटीसी लेने की निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करना होगा।
- (iv) क्रमशः एक महीने से तीन महीने के भीतर अग्रिम अवकाश यात्रा रियायत एवं प्रतिपूर्ति को समायोजित किया जाएगा।
- (v) एलटीसी आवेदन प्रस्तुत करने के एक सप्ताह पश्चात् एलटीसी आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की जा सकती है।
- (vi) उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार का दौरा करने के लिए टिकट केवल निम्नलिखित तीन अधिकृत ट्रेवल एजेंटों (एटीएस) से ही खरीदे जाने चाहिए :-

(क) मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल)

(ख) मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी)

(ग) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

यह सक्षम प्राधिकारी, इ.गाँ.रा.क.केंद्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है



(शीला उन्नीकृष्णन)

स.वि.स एवं लेखाधिकारी (स्था. एवं प्रशा.)

**प्रतिलिपि:-**

1. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक (आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को परिचालित करें)
2. इ.गाँ.रा.क.केंद्र की वेबसाइट
3. गार्ड फाइल

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**

1. सदस्य सचिव के मुख्य निजी सचिव
2. निदेशक (प्रशासन) के मुख्य निजी सचिव